

# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज०)

जोर दुग्ध मार्ग पर स्थित समितियों से पीकअप वाहन द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु ई- निविदा  
(निविदा सूचना क्रमांक 2329 दिनांक 20.09.2021)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

## भाग – "अ"

1. निविदा प्रपत्र संख्या : .....
  2. निविदा सन्दर्भ : 16 / 2021-22
  3. निविदा विषय : जोर दुग्ध मार्ग पर स्थित दुग्ध समितियों  
से पीकअप वाहन द्वारा दुग्ध परिवहन अनुबन्ध क्षमता 40 केन
  4. निविदा अवधि : एक वर्ष
  5. ई-निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक : दिनांक 27.09.2021 साय 5.00 बजे से  
(From govt site:<http://eproc.rajasthan.gov.in>)
  6. ई-निविदा प्रपत्र अपलोडिंग की अन्तिम दिनांक व समय : दिनांक 20.10.2021 साय 4.00 बजे तक
  7. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई- निविदा  
प्रोसिसिंग शुल्क के मूल डिमांड ड्राफ, प्रपत्र  
पीएण्डआई अनुभाग में जमा कराने की दिनांक व समय : दिनांक 21.10.2021 अपरान्ह 1.00 बजे तक
  8. तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र भाग अ खोलने की दिनांक व समय  
: दिनांक 22.10.2021 अपरान्ह 3.00 बजे
  9. वित्तीय ई-निविदा प्रपत्र भाग ब खोलने की दिनांक व समय  
: बाद में सूचित किया जावेगा।
  10. निविदा प्रपत्र शुल्क : रु. 590 /-(500+18% GST.)  
(DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
  11. अमानत राशि शुल्क : रुपया 20,000 /-  
(DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
  12. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क : रुपया 500 /-  
(DD in favour of MD, RISL Jaipur)
  13. क्या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध  
संघ में स्थाई पद पर कार्यरत है, अगर  
हां तो उनका नाम एवं निविदादाता से .....  
सम्बन्ध उल्लेखित करें- .....
  14. क्या आप या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध  
समिति के सचिव/कर्मचारी  
प्रबन्धकार्यकारीणी के सदस्य है। यदि .....  
हां तो समिति का नाम एवं पद का उल्लेख करे .....
  15. निविदा दाता द्वारा भरी जाने वाली दरें : कृपया निविदा प्रपत्र भाग "ब " (BOQ) में अंकित करे
  16. निविदादाता का नाम एवं पता : .....  
.....  
फोन न./मोबाईल न. ....
  17. निविदा खोलने का स्थान : उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर  
गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज०)
- नोट – निविदा सूचना में विवरण अनुसार तीनो मूल डिमांड ड्राफ ( ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई-निविदा प्रोसिसिंग शुल्क ) सम्बन्धित कार्यालय के पीएण्डआई अनुभाग मे उपस्थित होकर जमा करावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED  
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

---

**PART A**

**Technical & Pre Qualification Bid  
E-Tender for Milk Transportatio Jor Route**

**(Tender Notice No. : 2329 Dated 20.09.2021 )**

1. Name and full postal address \_\_\_\_\_  
of firm submitting the application \_\_\_\_\_  
Form (Block letters) \_\_\_\_\_  
Phone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_
2. Nature of Firm :- Proprietor/Partnership/Company/Others (Specify)
3. To be filled by the tenderer himself :-

(i) Tender form fee :Rs.\_\_\_\_\_vide  
D.D.No.\_\_\_\_\_  
Name of Bank\_\_\_\_\_  
Dated\_\_\_\_\_

(ii) Earnest Money Details : :Rs.\_\_\_\_\_vide  
D.D.No.\_\_\_\_\_  
Name of Bank\_\_\_\_\_  
Dated\_\_\_\_\_

(iii) E-tender processing fee : :Rs.\_\_\_\_\_vide  
D.D.No.\_\_\_\_\_  
Name of Bank\_\_\_\_\_  
Dated\_\_\_\_\_

**Note :- Physical deposition of all three demand drafts (for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money) should be submitted manually in the office of Tendering Authority before 1.00 PM o f 21-10-2021 as specified in tender notice.**

*Signature of Tenderer*

- भाग अ के साथ निम्न कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करे।
  1. फर्म का पंजियन प्रमाण प्रत्र/पार्टनरशीपडीड ।
  2. पॉवर ऑफ अटोर्नी की मूल प्रति । (भागीदारी के केस में)
  3. वाहन का विवरण, रजिस्ट्रेशन संख्या ( रजिस्ट्रेशन, ईन्श्योरेन्स, परमीट, फिटनेस आदि)।
  4. विगत दो वर्षों की आयकर विवरणी।
  5. पेन न. की छाया प्रति।
  6. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर आवश्यक है।
  7. डेयरी उद्योग मे कार्य करने का अनुभव प्रमाण प्रत्र यदि हो तो।
  8. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSS ACT 2006)के तहत रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स की छाया प्रति। अगर निविदा भरते वक्त लाईसेन्स उपलब्ध नहीं है तो निविदा कार्य मिलने पर निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
  9. अडंरटेकिंग एण्ड डिक्लेरियेशन ANNEX - C व ANNEXURE 1,2,3,4
  10. निविदा प्रपत्र शुल्क ( ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई- निविदा प्रोसिसिंग शुल्क ) की डी डी की स्केन प्रति ।
  11. पता प्रमाणित हेतु कोई भी एक राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, विद्युत बिल, आधारकार्ड इत्यादि।

वाहन संख्या :- .....यदि नया वाहन है तो नया वाहन लिखे।
- निविदादाता द्वारा निविदा दर मय समस्त टैक्स सहित निर्धारित प्रपत्र भाग ब के **BOQ** मे भरी जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED**  
**GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

**Instructions for uploading E-tender form & documents:-**

**1. Submission of E-Tender Form & Document: (Only through Online procedure)**

Please read carefully the steps of submitting Tender form Online & also you have to follow instruction of e-procurement site for filling E-tender form. E-Tender form should be uploaded separately in two parts, viz. **PART A & PART B (unpriced & priced)**.

**PART A :** Before Uploading **UNPRICED TENDER**, it should be ensured that all the Technical & Commercial details including conditions of contract & relevant documents etc. (**duly digitally signed by tenderer**) & Scan copy of Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fees (**DD/payorder**) are ready for uploading.

If scan copy of documents mentioned page no. 3 (Clearly visible) are not uploaded with Part-A of Tender form, Part-B of that tenderer will not be opened/consider for finalization of the tender work. In addition to it please ensure

**1. Submission of Demand Draft**

- a) Scan copy of Demand Draft for Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fee.
- b) Physical deposition of all three demand drafts before 1.00 PM of 21-10-2021 as specified in tender notice.

**PART B :** **PRICED TENDER** fill with **Schedule of Rates duly filled** (only in prescribed format BOQ in .xls format), **digitally signed on that page**.

- (a) Interested party/bidder/tenderer can be download tender form from official website <http://eproc.rajasthan.gov.in>
- (b) Tenderer who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> To participate in online tenders, tenderer will have to procure digital signature certificate (type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their electronic tender documents. Tenderer can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement cell, Department of IT &C, Government of Rajasthan for further assistance. Tenderer who have a valid digital certificate need not procure a new digital certificate.  
Address:- e-procurement Cell, RISL, Yozana Bhawan, Tilak Nagar, C-Scheme, Jaipur
- (c) Tenderer shall submit their offer on line in electronic formats both for technical and financial proposal however Demand Draft for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money should be submitted manually in the office of Tendering Authority (Udaipur Dairy, Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur) before date & time of opening of technical bids as mentioned in tender notice. Scanned copy of Demand Draft should be uploaded along with online bid.
- (d) Tender form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
- (e) The quoted rate should be filling (on the basis of rupees per km) in prescribed format of PART B of tender form (.xls BOQ) only.

*Signature of Tenderer*

# उदयपुर डेयरी, उदयपुर

(उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उदयपुर)  
गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड, उदयपुर (राज०)  
अनुबन्ध (परिवहन) की शर्तें एवं नियम

- (1) आमंत्रित निविदाएं दो भाग में मांगी जा रही हैं, भाग अ में योग्यता रखने पर ही भाग ब वित्तीय (Financial) निविदाएं खुलने योग्य मान्य होगी।
- (2) दरे अंको व शब्दों में लिखी जानी चाहिये। अंको एवं शब्दों में यदि अन्तर होगा तो शब्दों में लिखी दर अन्तिम मान्य होगी। दरें समस्त प्रकार के करो को शामिल करते हुये मानी जायेगी।
- (3) स्वीकृत ठेकेदार को परिवहन अवधि में कार्य स्वयं को ही करना होगा व इस कार्य को किसी अन्य से नहीं करवा सकेगा। स्वीकृत ठेकेदार वही वाहन चलायेगा जिसको कि स्वीकृत किया गया है। वाहन निविदाकर्ता के नाम पंजियन होना चाहिये। अपरिहार्य कारणों से स्वीकृत वाहन के स्थान पर उसी क्षमता एवं मॉडल का दूसरा वाहन अधिकतम 30 दिवस की अवधि के लिये संघ की स्वीकृति से लगाया जा सकेगा। 30 दिवस से अधिक अवधि पर स्वीकृत दर की 25 प्रतिशत राशि काटी जाकर भुगतान होगा।
- (4) निविदा दाता अपना पूरा पता/नाम निविदा में अंकित करेगा। पता वाहन के स्वामित्व सम्बन्धी पत्रादि वाला ही होना चाहिये। यदि उसके वहां टेलीफोन की सुविधा हो तो टेलीफोन/मोबाईल नम्बर भी लिखेगा।
- (5) यदि वाहन सही चालू हालात में नहीं रखेगा और प्रबन्ध संचालक ने यह उचित समझा कि वाहन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो ठेकेदार को किसी भी प्रकार का समय दिये बिना ठेका रद्द किया जा सकता है एवं संघ/समितियों को होने वाली समस्त हानियों के लिये वाहन ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
- (6) निविदा प्रस्तुतकर्ता को 20,000/- अक्षरे बीस हजार रुपये धरोहर राशि जरिये बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी जो निविदा स्वीकृत होने के दिनांक से 1 माह के अन्दर-अन्दर लौटा दी जायेगी।
- (7) स्वीकृत निविदाकर्ता को 20,000/- जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में नगद / ड्राफ्ट जमा कराने होंगे, निर्धारित रुपये 500 (40 केन क्षमता) / 1000 (80 केन क्षमता) के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा जिसकी व्यय राशि निविदाकर्ता को वहन करनी होगी तथा 100/- रुपये का एक हिस्सा क्रय कर नोमिनल सदस्य बनना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- (8) ठेकेदार को अन्तिम बिल व सिक्यूरिटी का भुगतान समस्त समितियों, क्रेन्द्रों एवं अनुभागी से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही होगा।
- (9) स्वीकृत ठेकेदार अपना बिल माह में एक बार संघ द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रस्तुत करेगा। भुगतान बैंक द्वारा ही देय होगा, नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती कर ही देय भुगतान बैंक में भेजा जायेगा। निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करते समय ही अपना पेन न0 देना होगा अथवा प्रथम बिल के साथ देना होगा अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा।
- (10) प्रबन्ध संचालक किसी भी निविदा को स्वीकृत करने में सक्षम होगा। उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि न्यूनतम दर वाली निविदा को ही स्वीकृत किया जावे इसी प्रकार वह बिना कोई कारण दिये किसी भी निविदा या सभी निविदा को निरस्त कर सकते हैं।
- (11) निविदा की शर्तों व नियमों के अर्थ व आशय पर प्रबन्ध संचालक का निर्णय मान्य होगा।
- (12) यह कि स्वीकृत अनुबन्धकर्ता अपने वाहनों, में कौने एक के उपर एक रखकर लाने की परिस्थिति में उसे अपने वाहन में लकड़ी / लोहे का पोर्टीशन करा कर ही ऐसा कर सकेगा।
- (13) यह कि गर्मियों के दिनों में स्वीकृत अनुबन्धक को अपने वाहनों को तरपाल से इस प्रकार ढकना होगा कि स्वच्छ हवा का आवागमन रहे एवं दूध गर्मी से खराब होने से बच सके।
- (14) निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि निविदा खुलने की दिनांक के दिन प्रचलित दर के अनुसार निविदा दर प्रेषित करे, अनुबन्ध अवधि में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा डीजल की दरें बढ़ाई अथवा घटाई जाती है तो उसी अनुपात में प्रति कि०मी० दरों में संशोधन किया जायेगा। डीजल बढ़ोतरी/घटोतरी की गणना निम्न प्रकार होगी।
1. वाहन क्षमता 120 केन – 8 कि०मी०/लिटर औसत से
  2. वाहन क्षमता 80 केन – 10 कि०मी०/लिटर औसत से
  3. वाहन क्षमता 40 केन – 12 कि०मी०/लिटर औसत से
- (15) ऑयल व कलपुर्जे इत्यादि की दरों में बढ़ोतरी की दशा में संघ द्वारा अनुबन्ध अवधि में किसी भी परिस्थिति में दरों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (16) यह कि स्वीकृत अनुबन्धक को अपने वाहन पर ऑईल पेन्ट से यह लिखवाना होगा कि वाहन " उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से अनुबन्धित है", "आवश्यक सेवाएँ" एवं "दुग्ध मार्ग....."
- (17) यह कि स्वीकृत अनुबन्धक किसी कारण वश संघ की स्वीकृति पश्चात यदि अनुबन्ध को हस्तान्तरण करना चाहता है तो ऐसा वह तभी कर सकेगा जब प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति उपरांत वह हस्तान्तरण शुल्क रूपये 20,000/- (बीस हजार रूपये) संघ कार्यालय में जमा कर दिया गया हो।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- (18) यह कि स्वीकृत अनुबन्धक को अपना कार्य शुरू करने से पहले उसे किसी भी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जमानत (गारन्टी) देना आवश्यक होगा ।
- (19) किसी भी प्रकार के वाद विवाद की कानूनी कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटीज जो राजस्थान को-आपरेटिव सोसाईटीज एक्ट के तहत नियुक्त है को आर्बिट्रेशन के लिए प्राप्त करना होगा ।
- (20) स्वीकृत निविदाकर्ता को दूध मार्ग के नक्शे के अनुसार दूध संकलन केन्द्रों / समिति / फीडर वाहन से बताये हुये समयानुसार दूध लाकर राजसमंद दुग्ध अवशीतन केन्द्र / निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाना होगा व खाली केन्स केन्द्रो पर समय से पुनः ले जाना होगी तथा समितियों को सूपूर्द करनी होगी। नक्शे में बताये गये समितियों / केन्द्रो / फीडर मार्गो को बन्द भी किया जा सकता है, एवं बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे मार्ग की दूरी घट , बढ भी सकती है एवं एक मार्ग से दूसरे मार्ग में मिलाया भी जा सकता है जिसके लिए दरों में बढोतरी नहीं की जा सकेगी । अथवा अनुबन्ध अवधि में ठेका रदद् भी किया जा सकता है जिसके लिये किसी भी प्रकार राशि की पूर्ति देय नहीं होगी ।
- (21) स्वीकृत निविदाकर्ता को दूध संकलन केन्द्रों पर दूध के केनों को ट्रक पर चढाने, डेयरी प्लान्ट पर उतारने में सहयोग के लिए यह कार्य अपने खलासी द्वारा करवाना होगा तथा संघ पर केनों को उतारने/चढाने के समय पूर्ण सावधानी रखनी होगी। उतारने व चढाने में आपके खलासी / ड्राईवर द्वारा केने टूट-फूट या तोडी गई तो केनों की हूई हानि की वसूली निविदाकर्ता से की जावेगी जो कि केनों के क्रय राशि के तीन गुना तक होगी ।
- (22) निविदाकर्ता समय पर दूध का परिवहन करेगा और संघ के केन्द्रों से दूध की केनों को सुरक्षित व अच्छे ढंग से परिवहन करेगा । वाहन को संकलन केन्द्रों / समिति के अलावा सामान्यतः कही नहीं ले जा सकेगा । अगर दूध केनों को चढाते समय परिवहन के समय या उतारते समय दूध बिखर गया या देरी से आया तो निविदाकर्ता की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि की वसूली की जायेगी ।
- (23) निविदाकर्ता को ट्रक खराब हो जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी व समय पर दूध पहुंचाना होगा, इसमें किसी प्रकार के नुकसान जैसे दूध, केन्स आदि का होने पर निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी तथा उक्त हानि की राशि बिल में से या जमानत राशि में से काट ली जायेगी एवं जमा राशि से अधिक होने पर निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी ।
- (24) स्वीकृत ठेकेदार अथवा उसके अधीन कर्मचारी जैसे वाहन चालक, खलासी आदि द्वारा दूध को केनों में से निकालने या पीने अथवा मिलावट करने पर समस्त समितियों पर होने वाली पूरे वर्ष की हानि को मय जुर्माना जो प्रबन्ध संचालक उचित समझे, ठेकेदार से वसूल की जावेगी ।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

- (25) प्रबन्ध संचालक वाहन के चालान होने पर किसी भी प्रकार की कानूनी एवं आर्थिक कार्यवाही का जिम्मेदार नहीं होंगे।
- (26) स्वीकृत ठेकेदार परिवहन अवधि में वाहन में दूध परिवहन करते समय किसी प्रकार का सामान या जानवर अथवा व्यक्ति भी जो संघ से संबन्धित नहीं हो नहीं ले जावेगा ऐसा होने पर प्रति व्यक्ति अथवा जानवर सामान होने पर 100/- या अधिक जो प्रबन्ध संचालक उचित समझे जुर्माना किया जा सकता है।
- (27) स्वीकृत ठेकेदार को संघ के निर्देशानुसार ऐसीड, एल्कोहल, पशुआहार, धी / डाक, ड्राफ्ट या अन्य सामान लाना व ले जाना होगा एवं अगले दिन पुनः सामान की पावती संबन्धित समितियों से लाकर संघ में जमा करानी होगी। उक्त अनुसार रसीद प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार के उसी माह के बिल में ले जाये गये माल की राशि स्थानीय दर के अनुसार मयशास्ती कटौती कर ली जावेगी। उपरोक्तानुसार सामन नहीं ले जाने पर जुर्माना किया जा सकता है। समय पर ट्रक शीट न लाने पर / न ले जाने पर अथवा अपूर्ण रहने पर प्रतिदिन 100/- रूपया तक जुर्माना किया जा सकेगा। पशु आहार / घी परिवहन पर संघ द्वारा निर्धारित किराया देय होगा ।
- (28) ठेकेदार को अपने बिल प्रमि माह की 2 तारीख तक संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में मार्ग प्रभारी/जोन प्रभारी को प्रस्तुत करने होंगे। भुगतान प्रति पारी किलोमीटर के प्रमाणीकरण के पश्चात ही देय होगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर रू. 100/- प्रतिदिन (अक्षरे सौ रू. मात्र) सम्बन्धित माह के दुग्ध परिवहन बिल से वसूल की जावेगी। जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बिल के साथ सम्बन्धित मार्ग की समितियों से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा । बिल का प्रारूप स्टोर पीएण्डआई से प्राप्त किया जा सकेगा।
- (29) ठेकेदार की गलती से संघ को हुई क्षति की पूर्ति ठेकेदार से की जावेगी । ठेकेदार के कर्मचारी या उसके प्रतिनिधी द्वारा की गई गलती ठेकेदार की गलती मानी जावेगी चाहे ठेकेदार से पूछ के की गई हो या बिना पूछे की गई हो और उस क्षतिपूर्ति को वाहन ठेकेदार स्वयं वहन करेगा ।
- (30) प्राकृतिक विपदा होने के कारण अगर वाहन देरी से पहुचता है और दूध खटटा/फटटा होता है तो होने वाली क्षति का संघ जिम्मेदार होगा । वाहन का रास्ता बदलने से अथवा अधिक किलोमिटर होंगे तो संघ द्वारा देय होंगे । प्राकृतिक विपदा है या नहीं इसका निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित किया जावेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- (31) निविदा अवधि कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तत्पश्चात् यदि निविदाकर्ता का कार्य सन्तोषप्रद पाया जाता है तो आपसी सहमति के पश्चात् पुनः उन्ही नियम एवं शर्तों पर अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए अभिवृद्धि की जा सकेगा। साथ ही संघ द्वारा सामयिक परिस्थितियों के मद्देनजर संघ हित में कोई अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाती है तो उसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा। जिसे उन्ही नियम एवं शर्तों पर तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिए निविदादाता को मना करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है या निर्धारित वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है या संघ विरोधी किसी भी गतिविधि के होने पर प्रबन्ध संचालक के पास अनुबन्ध निरस्त करने के पूर्ण अधिकार रहेगा।
- (32) दुग्ध संकलन केन्द्र पर सचिव/अध्यक्ष/हैल्पर व संघ के कर्मचारी भी वाहन क्षमता तक आ जा सकेंगे।
- (33) निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्त निविदा पत्र में अंकित नहीं करेगा।
- (34) स्वीकृत निविदादाता को दर स्वीकृत आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर निविदा शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वाहन को मय स्वामित्व के पत्रादि के साथ निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा अन्यथा जमानत राशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- (35) वाहन गति समिति/प्रस्तावित समितियों पर रूकने का समय निम्न प्रकार रहेगा :-
- |  |   |
|--|---|
| 1. पक्का राजमार्ग 45 कि०मी० प्रति घंटा | 2. पक्का मार्ग 40 कि०मी० प्रतिघंटा          |
| 2. कच्चा मार्ग 20-30 कि०मी० प्रतिघंटा  | 4. 5 केन तक रूकने का समय 3-मिनट             |
| 5. 10 केन तक रूकने का समय-5 मिनट       | 6. 10 केन्स से अधिक पर रूकने का समय-10 मिनट |
| 7. ग्रेस समय - 15 मिनट                 |   |
- (36) वाहन निर्धारित समय से देरी से आने पर खटटे एवं दही की निर्धारित कटौती के अलावा निम्न प्रकार कटौतिया लागू होगी :-
1. 10 मिनट देर से आने पर 50 रुपये व 10 मिनट के बाद प्रति मिनट पर 1 रूपया के दर से राशि बिल से कटौती कर लि जावेगी।
- (37) अगर दूध वाहन में दूध की चोरी पकड़ी जाती है तो शर्त नंबर 24 के अलावा चोरी करते पकड़े गये दूध की मात्रा की कीमत का 10 गुणा पेनाल्टी लगाई जावेगी।
- (38) अगर अनुबंध अवधि में वाहन ठेकेदार अनियमितताये करता हुआ पाया जाता है और उसे इन कृत्यों के लिये संघ से चेतावनी पत्र मिलते हैं तो उस परिवहन ठेकेदार को ऐसी 3 चेतावनियां मिलने के बाद काली सूची में रखा जा सकता है व वह ठेकेदार अगले 6 वर्ष तक संघ से किसी भी प्रकार का ठेका प्राप्त नहीं कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- (39) अगर अनुबंधकर्ता बिना पूर्व स्वीकृति के अपने निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य मार्ग से परिवहन करता हुआ या निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर रूकता हुआ पाया गया तो रूपये 2000/- (अक्षरे दो हजार मात्र) तक की पेनाल्टी लगाई जावेगी ।
- (40) अनुबंधकर्ता द्वारा मार्ग में लगने वाले टोल टैक्स आदि का भुगतान अलग से देय नहीं होगा, यद्यपि यदि अनुबंध अवधि में कोई नया टोल टैक्स लगाया जाता है तो उसका भुगतान क्लेम करने पर देय होगा । अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा में दी गई केनो की क्षमता से अधिक केनो की सरव्या बढ़ती एवं परिवहन की जाती हैं तो बढी हुई प्रत्येक केन नर रु. 5/- अक्षरे पाँच रु. मात्र अतिरिक्त परिवहन देय होगा ।
- (41) निविदा-दाता द्वारा जो वाहन लगाया जायेगा, वह वाहन मॉडल निविदा दिनांक से 6 वर्ष पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिये, अगर लगने वाला वाहन 6 वर्ष से अधिक पूर्व का होगा तो निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, एवं निविदा निरस्त मान ली जावेगी । यदि निविदादाता नये वाहन का उल्लेख करता है तो उसे निविदा दिनांक के बाद स्वयं के नाम का पंजिकृत वाहन लगाना होगा एवं उस वाहन का प्रथम स्वामी होगा अर्थात सीधे ही कम्पनी से निविदादाता के नाम से क्रय किया हुआ वाहन होना चाहिए न की किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा हुआ वाहन हो ।
- (42) निविदा-दाता/अनुबंधक को कारखाना अधिनियम (Factory Act) के तहत माना जावेगा, एवं यह उसका दायित्व होगा कि यदि अनुबंधकर्ता के कार्य हेतु यदि कर्मचारी नियोजित करना पड़े तो उससे सम्बन्धित कर्मचारी भविष्य निधी, कर्मचारी राज्य बिमा योजना आदि का भुगतान नियमानुसार कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक EPF/ESI जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करे अन्यथा उचित प्रतिशत राशि उसके बिलों से काट कर सम्बन्धित विभाग को जमा करवा दी जावेगी, एवं इससे होने वाली समस्त जिम्मेदारी अनुबंधक स्वयं की होगी एवं साथ ही निविदा के साथ अधिनस्थ स्टाफ वाहन चालक/खलासी का नाम, पिता का नाम, पता आदि तथा ड्राईविंग लाईसेंस की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी ।
- (43) अनुबंध अवधि में अनुबंधक द्वारा यदि केने कम जमा करवाई जाती है अथवा केने खो जाती है तो अनुबंधक से केनों की क्रय राशि के तीन गुना राशि तक वसूल की जावेगी जो उसके बिल अथवा जमा सिक्युरिटी राशि से भी वसूल कर ली जा सकती है ।
- (44) अनुबंध से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु प्रभारी (पीएण्डआई)/कृषक संगठन शाखा से की जा सकती है तथा यह भी अपेक्षा की जाती है कि निविदा भरने से पूर्व कार्य से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी जान ली गई है । तत्पश्चात ही निविदा प्रपत्र भरा गया है ।
- (45) अनुबंधक द्वारा अनुबंध अवधि पूर्ण नहीं किये जाने पर, अथवा बिच में ही कार्य छोड दिये जाने पर, अनुबंध विच्छेद माना जावेगा, एवं अनुबंधक द्वारा जमा नकद सिक्युरिटी राशि, बैंक गारण्टी एवं बकाया बिल जब्त कर लिया जावेगा, एवं कानूनी कार्यवाही भी कि जावेगी ।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

(46) निविदादाता प्रातः एवं सांय के लिये एक ही वाहन कार्य में ला सकता है एवं संघ भी इसे प्राथमिकता से लेगा, परन्तु यदि अनुबन्ध अवधि में अनुबन्धक द्वारा कार्य में शिथिलता दिखाई गई अथवा कार्य के प्रति रुचि नहीं लि गई तो किसी भी समय संघ द्वारा उचित समझे जाने पर प्रातः अथवा सांय में से किसी भी एक समय का अनुबन्ध रद्द कर दिया जा कर, किसी अन्य को दिया जा सकता है ।

(47) निविदाकर्ता को निविदा के साथ ही स्वयं के नाम पर वाहन स्वामीत्व के कागजात प्रस्तुत करने होंगे । इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ओर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी ।

(48) निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृत होते ही सिक्युरिटी राशि जमा करानी होगी जिसे अभाव में उनकी निविदा निरस्त करते हुये, उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी । निविदाकर्ता को दर स्वीकृत आदेश के अनुसार अपना वाहन उपलब्ध कराना होगा, एवं निम्न क्षमता अनुसार वाहन के लिये आगे अंकित राशि की 30 माह की बैंक गारन्टी देनी होगी ।

80 केन क्षमता — रूपये 100,000 (एक लाख मात्र, 80000/- बैंक गारण्टी एवं 20000/- नकद)

40 केन क्षमता — रूपये 50,000 (पच्चास हजार मात्र, 30000/- बैंक गारण्टी एवं 20000/- नकद)

जीप अथवा अन्य — रूपये 20,000 (बीस हजार मात्र) (सिक्यूरिटी के तौर पर नकद)

एवं स्वीकृत निविदादाता को रूपये 100/- नोमिनल हिस्सा राशि व रूपये 500 (40 केन क्षमता) /1000 (80 केन क्षमता) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध इकरार करना आवश्यक होगा

(49) वाहन ठेकेदार को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही 15 दिवस के अन्दर वाहन पर संघ के निर्देशानुसार पेन्ट (सरस लोगो एवं विज्ञापन) स्वयं के खर्चे पर करवाना होगा जिसके अभाव में प्रथम बिल का भुगतान नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्त होने के बाद वाहन का पेन्ट स्वयं के खर्चे पर 7 दिवस में हटवा कर वाहन का निरिक्षण करवाना होगा । 7 दिवस से देरी होने पर प्रतिदिन 100 रूपये का जुर्माना देना होगा । इसके अभाव में अंतिम बिल तथा सिक्युरिटी राशि/बैंक गारंटी का भुगतान देय नहीं होगा ।

(50) वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले स्टॉफ का पूर्ण विवरण संघ को देना होगा तथा संघ के कार्यक्षेत्र में स्टॉफ निर्धारित परिचय पत्र साथ में रखेगा जो मांगने पर दिखाया जाना आवश्यक है । ऐसा नहीं पाये जाने पर रूपये 100/- केस जुर्माना लगाया जायेगा ।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

- (51) निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी/ संचालक मण्डल का सदस्य का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, चाचा, चाची, ताउ, ताई, बुआ, फूफा एवं इनकी संतान, मामा, मामी, मोसी, मोसा, एवं इनकी संतान, ससुर, सास, पत्नी या पति के भाई-भाभी, बहीन-जीजा, एवं इनकी संताने एव इन्ही के समकक्ष संबंधी सें हैं)।
- (52) निविदादाता उदयपुर दुग्ध संघ/राजसमंद दुग्ध अवशीतन केन्द्र की किसी भी दुग्ध समिति का सचिव अथवा अन्य कर्मचारी या प्रबन्धकार्यकारीणि का सदस्य अथवा सचिव, कर्मचारी या प्रबन्धकार्यकारीणि सदस्य का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, चाचा, चाची, ताउ, ताई, बुआ, फूफा एवं इनकी संतान, मामा, मामी, मोसी, मोसा, एवं इनकी संतान, ससुर, सास, पत्नी या पति के भाई-भाभी, बहीन-जीजा, एवं इनकी संताने एव इन्ही के समकक्ष संबंधी सें हैं)।
- (53) ठेका अवधि में ठेका शर्तों में आवश्यक होने पर नई शर्त जोड़ी जा सकती है। जिसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा।
- (54) टेण्डर अवधि में यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- (55) जी.एस.टी अथवा अन्य कर के प्रावधानों की पालना आप स्वयं को सुनिश्चित करनी होगी।
- (56) अपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति निविदा में भाग नहीं ले सकेगा। यदि लेता है और बाद में भी पता लगता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने अपने पूर्ण होश हवास में अच्छी तरह पढकर समझ ली है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें मंजूर हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता .....

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED  
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

---

**Annex-C**

**DECLARATION/ UNDERTAKING**

**Tender Work : E-Tender for Milk Transportation *Jor* Route**

**(Tender Notice No. :- 2329 Dated 20.09.2021 )**

**Name of Tenderer : .....**

I/ We hereby declare

- that my/our Tender rates for the above stated work shall remain valid for a period of 3 (three) months from the date of opening. In case of our revoking or cancelling the Tender within the validity period, UDUSS Ltd, Udaipur is entitled to forfeit the Earnest Money Deposit paid by us along with the Tender.
- that my firm is not black listed by any organization.
- No criminal case is pending against me/my firm.
- I do not have any blood relation with UDUSS/ Rajsamand MCC Employee's (dairy employees/ official's /BOD's member)

*Signature of Tenderer*

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAUFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

**Signature of Bidder**

## Annexure - 2

### **UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD . GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B  
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

#### **Annexure 2 : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

##### **Declaration by the Bidder**

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan ) for procurement of .....  
.....in response to their Notice Inviting bid No.....Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:  
Place:

Signature of Bidder  
Name:  
Designation:  
Address:

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 3 : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).

The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director , Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement.
- (b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) cancellation of a procurement process.
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(6) Fee for filing appeal .**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

FORM No. I

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal .....

.....( Supported by an Affidavit)

7. Prayer:.....

.....

Place .....

Date.....

Appellant's Signature

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 4 : Additional Conditions of Contract**

**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

- i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

- (i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**  
**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

*Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754*

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award  
(In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED**  
**GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

---

Annex-A

Tender Work : E-Tender for Milk Transportation *Jor* Route  
(Tender Notice No. : 2329 Dated 20.09.2021 )

-----

**Milk Transportation route detail for *Jor* Marg:-**

Route	Tender Cost (Approx)	Proposed Transportation Qty	No of (Approx)	Approx. km (To & Fro)	Pickup 407 Vehicle		Required Cash Security + Bank Gaurantee Rs in lac	Total Security Amount (Rs)
	(Rs In Lac)	(In Cans)	Outlets		Capacity (In Cans)	Model		
<i>Jor</i>	6.00	40	8	140	60	Pickup 407 or equivalent	Rs 0.20 + 0.30	0.50 lac

*Signature of Tenderer*

# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)

फोन न० – 2640258, 2640188, 2640179, फ़ैक्स – 2640333

(यह फॉर्मेट संदर्भ हेतु है एवं प्रेषित दरे ऑनलाईन BOQ में भरे)

## वित्तीय निविदा प्रपत्र

### भाग – “ब”

नाम निविदादाता ..... निविदा प्रपत्र संख्या.....  
पता .....  
.....  
टेलीफोन न./मो.न. ....

1. निविदा सन्दर्भ : 16 / 2021-22
2. निविदा विषय : जोर दुग्ध मार्ग पर स्थित दुग्ध समितियों  
सें पीकअप वाहन द्वारा दुग्ध परिवहन अनुबन्ध क्षमता 40 केन

निविदा अवधि – एक वर्ष

### प्रेषित दर BOQ में अंकित करे

क्र.स.	विवरण	परिवहन क्षमता	निविदादाता द्वारा प्रेषित दर रू.
1	जोर दुग्ध मार्ग पर स्थित दुग्ध समितियों से दुग्ध अवशीतन केन्द्र राजसमंद तक पीकअप वाहन से दुग्ध परिवहन	40 केन	रूपये ..... प्रति. कि०मी० अक्षरे ..... प्रति. कि०मी०

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर